

अमरसिंह वर्मा बनाम कुजोड़गल वकील दावा

मु.नं. 117/2020

हुकम या कार्यवाही मय लघुतस्ताक्षर जज

रीख हुकम

नम्बर व तारीख  
आहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए


22/12/2020

संशोधित निर्णय

पकील डिफ्डीदार श्री राजेश  
थेवड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना -पत्र मिलल लखी  
रुबीकार डिजा जाने पर: पत्रावली कुंलल रेकर्ड  
से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील  
डिफ्डीदार ने एक प्रा पत्र प/स 152 अपठित  
द्वारा 151 CPC पेश कर निवेदन डिमा डि  
प्रकरण हाजा में विवादित पक्षकारान के  
मध्य राजीनामा होकर माननीय न्यायालय  
हाजा द्वारा दिनांक 07-12-2020 की  
भुगतान राजीनामा दावा डिफ्डी फरमाया गया  
जिस बाबत निवेदन है कि विवादित पत्र नं०  
में से पत्र नं० 196/1 व 196/2 रकण 2.71  
हैं तब ज्ञानपुरा राजीनामा में सहवन ले  
पर्क करने से छूट गया, जिस बाबत विवादित  
पक्षकारान पुनः राजीनामा प्रस्तुत करने हेतु  
उपस्थित न्यायालय हाजा है। अतः पुनः  
राजीनामा तस्वीर कर संशोधित निर्णय  
फरमाया जावे।

विवादित पक्षकारान ने  
उक्त पत्र नं० बाबत पुनः जरिए अधिवक्ता  
राजीनामा पेश डिजा जो बाद तस्वीर कामिल  
पत्रावली डिजा गया।

अतः पुनः प्रस्तुत राजीनामा  
के आधार पर धारा 151 CPC के तहत  
प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते  
हुए संशोधित आदेश इस आशय का  
पारित डिजा जाता है कि न्यायालय हाजा  
द्वारा प्रकरण में पारित भूल निर्णय एवं  
निर्णय



कजोड़गल  
अमरसिंह



अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

शाम सोनपुरा प० ए० भालिकपुर अप्रतिष्ठित  
 कृषि भूमि खण नं० 196/1, 196/2 रकबा  
 2.71 हे० से प्रतिकाफी नं० 1 का नाम हजफु  
 डिवा जाडर उनसे खान पर प्रतिकाफी  
 नं० 2 "कडारास" को ज्वातेदार काशनकार  
 जोरित डिग जाला है, भी पना जाके।  
 संशोधित निर्णय मूल निर्णय  
 एवं डिगि दिनांकित 07-12-2020 का  
 भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड  
 में अमल फरामंद हेतु तहलीलदार जखेला  
 को तहरीर आदेश जारी हो। पनावली  
 पुनः केसल रेकार्ड में शामिल हो।



22/12/20  
 (राकेश कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी AS  
 उपखण्ड (सीकर) अधिकारी  
 खखेला (सीकर)